न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर चिखली जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार न्योल

प्रकरण सख्याः—06 / 2019 निर्णय दिनांकः—12.07.2024

1 श्री कारीया पिता लाडजी भगोरा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
2 श्री दीवण पिता धनजी भगोरा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

वादी

बनाम

1 श्री धना पिता मावजी भगोरा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
2 श्री मोहन पिता मावजी भगोरा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
3 श्री विष्णु पिता लालशंकर भगोरा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
4 श्रीमती लक्ष्मी पति लालशंकर भगोरा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
5 श्री मान तहसीलदार साहब तहसील चिखली जिला डुगंरपूर राज.।
6 श्री धना पिता दुबला उर्फ दुबला भगोरा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
7 श्री मोहन पिता दुबला उर्फ दुबला भगोरा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
8 श्री राजु पिता दुबला उर्फ दुबला भगोरा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
9 श्रीमती गौतमी पिता दुबला उर्फ दुबला भगोरा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भु—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :— श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की ओर से

श्री महेन्द्र कुमार जैन प्रतिवादी संख्या 6 से 9 की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4एक ही परिवार के सदस्य है। तथा मुलपुरूष नानजी के वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत 2070—2073 में

कमशः पेज दो पर

खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.12 बीघा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है उक्त आराजी संवत 2008 वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 पुर्वज लाडजी व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के पुर्वज हलिया के नाम सयुक्त रुप दर्ज थी जिसके नम्बरो का संवत 2013 मे परिवर्तन हुआ और नये नम्बर 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कायम हुए जिन्हे सेटलमेंटकर्मियो ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम दर्ज दी जिससे सम्पुण्र वादग्रस्त आराजी मावजी पिता हलिया के नाम दर्ज रेकोर्ड है जिसकी जानकारी वादीगण को लोन लेने हेतु अपने खाते की नकल निकलवाने पर पता चला की जमाबंदी में वादीगण का नाम नहीं है जिस पर वादीगण ने अपनी विरासती वादग्रस्त भुमी की पुरानी नकले निकलवायी तो जानकारी हुई कि हलिया व लाडजी के सयुक्त खाते की भुमी को सेटलमेंट कर्मियो ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम दर्ज दी जिससे सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजी मावजी पिता हलिया के नाम दर्ज रेकोर्ड है जो विधिविरूद्ध होकर गलत है जिस पर वादीगण ने राजस्व कर्मधारीयो से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त कराने की बात कही लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने तथा जमीन में हिस्सा देने से मना करने लगे जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऐसे में जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.12 बीघा मे वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 का नाम प्रतिवादीगण सख्या 1 से 2 के साथ दर्ज कर वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 3 व 4 को सयुक्त रुप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाना आवश्यक है। तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 2 वादग्रस्त आराजी मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे।
इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।
वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। बावजुद सुचना प्रतिवादीगण के हाजीर नही होने से प्रतिवादीगण के विरुद एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु रखी गई। वादी कारीया के बयान लेखबद्व किये गये । उसके पश्चात एकपक्षीय बहस सुनने के पश्चात वाद डिकी किया गया था ।

उसके बाद प्रतिवादी सख्या 4 से 9 ने दिनांक 16.6.2016 को आर्डर 9 रुल 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 9.05.2016 को पारीत निर्णय व डिकी को अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेध किया था जिसे उभय पक्ष को सुनने के पश्चात दिनांक 31.08.2016 को खरीज किया गया था । उक्त आदेश के विरुद प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय भु प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर मे प्रस्तुत की थी जो अपील नम्बर 34/2016 दर्ज हुई जिसे माननीय न्यायालय भु प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा स्वीकार कर सभी पक्षकारो सस्थित कर मुल वाद मे विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारीत

कमशः पेज तीन पर

करने के निर्देशो के पत्रावली वापस न्यायालय को प्रतिपेषित कीये जाने पर पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 11.01.2019 को पुनः दर्ज कर की गई ।

पत्रावली मे दिनांक 11.07.2019 को वादीगण ने आर्डर 1 रुल 10 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुबल उर्फ दुबला के वारीसान प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 को पक्षकार बनाने व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 नाम हटाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी प्रति वकील प्रतिवादीगण को दी गई प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति पेश नही करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 को पक्षकार बनाने की स्वीकति देकर संशोधित अनवान पेश करने मे पत्रावली नियत की गई तत्पश्चात वकील वादीगण ने संशोधित अनवान पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली मे वकील वादीगण ने आर्डर 6 रुल 17 का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद मे संशोधन करने का निवेदन किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादीगण को दी गई वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने का कथन किया उभय पक्ष की बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र स्वीकार संशोधित वाद प्रस्तुत करने का वादीगण को आदेशित किया गया।

वादीगण ने संशोधित वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा मुलपुरूष नानजी के वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.12 बीधा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है उक्त आराजी संवत 2008 वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 पुर्वज लाडजी व प्रतिवादी सख्या 6 से 9 के पुर्वज हलिया के नाम सयुक्त रुप दर्ज थी जिसके नम्बरो का संवत 2013 मे परिवर्तन हुआ और नये नम्बर 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कायम हुए जिन्हे सेटलमेंटकर्मियो ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम दर्ज दी जिससे सम्पुण्र वादग्रस्त आराजी मावजी पिता हलिया के नाम दर्ज रेकोर्ड है जिसकी जानकारी वादीगण को लोन लेने हेतु अपने खाते की नकल निकलवाने पर पता चला की जमाबंदी में वादीगण का नाम नहीं है जिस पर वादीगण ने अपनी विरासती वादग्रस्त भुमी की पुरानी नकले निकलवायी तो जानकारी हुई कि हलिया व लाडजी के सयुक्त खाते की भुमी को सेटलमेंट कर्मियो ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम दर्ज दी जिससे सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजी मावजी पिता हलिया के नाम दर्ज रेकोर्ड है जो विधिविरूद्ध होकर गलत है जिस पर वादीगण ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त कराने की बात कही लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने तथा जमीन में हिस्सा देने से मना करने लगे जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऐसे में जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल

कमशः पेज चार पर

रकबा 12.12 बीघा मे वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 का नाम प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 के साथ दर्ज कर वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 3 व 4 को सयुक्त रुप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 6 से 9 वादग्रस्त आराजी मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे। संशोधित वाद की प्रति वकील प्रतिवादीगण को दी गई ।

वकील प्रतिवादीगण ने संशोधित वाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगस्त जमीन पर वादीगण का कोई कब्जा नही है वादीगण द्वारा पारिवारीक सजरा गलत पेश किया है वाद गस्त जमीन पारिवारीक बंटवारे मे प्रतिवादीगण के हिस्से मे आयी है तथा वादीगण के खाते मे अन्य आराजी है तथा मौके पर मकान बना हुआ है जिसकी मौका रिपोर्ट मंगावायी जावे वादीगण का खाते मे दुसरी आराजीयात ग्राम रोयडा मे खसरा नम्बर 246, 115, 206, 247, 250, 251 व 116 होकर स्थित है। इस प्रकार जवाब प्रस्तुत कर वाद खारीज करने का निवेदन किया ।

वादीगण के वाद व प्रतिवादीगण के जवाब दावे के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई–

1 आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर पारिवारीक सजरा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है ।

–जिम्मे वादी

2 आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी स. 6 से 9 को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अधिकारी हैकि प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 वादग्रस्त जमीन का कोई हिस्सा रहन, बक्षीस , वसीयत, विकय पत्र अपने नाम होने के आशार पर नही करे न ही वादीगण को बेदखल करे।

–जिम्मे वादीगण

3 अनुतोष–

वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री कारीया पिता लाडजी भगोरा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 पीडब्लयु–2– श्री दीवण पिता धनजी भगोरा निवासी रोयडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रदर्श– 1 खतोनी जमाबंदी संवत 2002–2011 की नकल

प्रदर्श– 2 फर्द तुलनात्मक

प्रदर्श –3 जमाबन्दी संवत 2066– 2069

उक्त बयानों में बताया की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा मुलपुरूष नानजी के वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.12 बीघा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 की संयुक्त कब्जे

कमशः पेज पांच पर

काश्त की विरासती आराजी है उक्त आराजी संवत 2008 वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 पुर्वज लाडजी व प्रतिवादी सख्या 6 से 9 के पुर्वज हलिया के नाम सयुक्त रुप दर्ज थी जिसके नम्बरो का संवत 2013 मे परिवर्तन हुआ और नये नम्बर 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कायम हुए जिन्हे सेटलमेंटकर्मियो ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम दर्ज दी जिससे सम्पुण्र वादग्रस्त आराजी मावजी पिता हलिया के नाम दर्ज रेकोर्ड है जिसकी जानकारी वादीगण को लोन लेने हेतु अपने खाते की नकल निकलवाने पर पता चला की जमाबंदी में वादीगण का नाम नहीं है जिस पर वादीगण ने अपनी विरासती वादग्रस्त भुमी की पुरानी नकले निकलवायी तो जानकारी हुई कि हलिया व लाडजी के सयुक्त खाते की भुमी को सेटलमेंट कर्मियो ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम दर्ज दी जिससे सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजी मावजी पिता हलिया के नाम दर्ज रेकोर्ड है जो विधिविरुद्ध होकर गलत है जिस पर वादीगण ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त कराने की बात कही लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने तथा जमीन में हिस्सा देने से मना करने लगे जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऐसे में जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.12 बीघा मे वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 का नाम प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 के साथ दर्ज कर वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 3 व 4 को सयुक्त रुप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 6 से 9 वादग्रस्त आराजी मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे।

साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई।

प्रतिवादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित साक्ष्य पेश किए।

1 श्री धना पिता स्व. दुबल भगोरा निवासी रोयडा तहसिल चिखली जिला डूंगरपुर राज.

2 श्री मोहन पिता स्व. दुबल भगोरा निवासी रोयडा तहसिल चिखली जिला डूंगरपुर राज.

प्रदर्श डी 1 – जमाबन्दी संवत 2074– 2077

प्रदर्श डी 2 – नक्षा टेस

प्रदर्श डी 3 –खसरा गिरदावरी संवत 2078

प्रदर्श डी 4 – विधुत बिल

प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में बताया कि वादगस्त जमीन पर वादीगण का कोई कब्जा नही है वादीगण द्वारा पारिवारीक सजरा गलत पेश किया है वाद गस्त जमीन पारिवारीक बंटवारे मे प्रतिवादीगण के हिस्से मे आयी है तथा वादीगण के खाते मे अन्य आराजी है तथा मौके पर मकान बना हुआ है तथा मावजी का कियाकम व सेवा चाकरी प्रतिवादीगण ने की थी तथा मावजी के हिस्से की जमीन पर प्रतिवादीगण काबीज है ।

प्रतिवादी ने अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा जिससे साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर पत्रावली अन्तिम बहस हेतु रखी गई।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा मुलपुरूष नानजी के वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.12 बीधा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है उक्त आराजी संवत 2008 वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 पुर्वज लाडजी व प्रतिवादी सख्या 6 से 9 के पुर्वज हलिया के नाम सयुक्त रुप दर्ज थी जिसके नम्बरो का संवत 2013 मे परिवर्तन हुआ और नये नम्बर 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कायम हुए जिन्हे सेटलमेंटकर्मियो ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम दर्ज दी जिससे सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजी मावजी पिता हलिया के नाम दर्ज रेकोर्ड है जिसकी जानकारी वादीगण को लोन लेने हेतु अपने खाते की नकल निकलवाने पर पता चला की जमाबंदी में वादीगण का नाम नहीं है जिस पर वादीगण ने अपनी विरासती वादग्रस्त भुमी की पुरानी नकले निकलवायी तो जानकारी हुई कि हलिया व लाडजी के सयुक्त खाते की भुमी को सेटलमेंट कर्मियो ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम दर्ज दी जिससे सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजी मावजी पिता हलिया के नाम दर्ज रेकोर्ड है वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी अकेले प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 के नाम दर्ज है जो विधिविरूद्ध होकर गलत है जिस पर वादीगण ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त कराने की बात कही लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने तथा जमीन में हिस्सा देने से मना करने लगे जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऐसे में जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.12 बीधा मे वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 का नाम प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 के साथ दर्ज कर वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 3 व 4 को सयुक्त रुप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 6 से 9 वादग्रस्त आराजी मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे। ऐसे में वाद डिकी फरमाया जावे।

वकील प्रतिवादीगण ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दियावादगस्त जमीन पर वादीगण का कोई कब्जा नही है वादीगण द्वारा पारिवारीक सजरा गलत पेश किया है वाद गस्त जमीन पारिवारीक बंटवारे मे प्रतिवादीगण के हिस्से मे आयी है तथा वादीगण के खाते मे अन्य आराजी है तथा मौके पर मकान बना हुआ है तथा मावजी का कियाकम व सेवा चाकरी प्रतिवादीगण ने की थी तथा मावजी के हिस्से की जमीन पर प्रतिवादीगण काबीज है । हलिया के

कमशः पेज सात पर

दो पुत्र मावजी व दुबल थे तथा प्रतिवादीगण उनके वारीस है वादीगण का अन्य खाता है जिस पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ती नही है । वाद ग्रस्त आराजी राजस्व रेकोर्ड मे प्रतिवादी सख्या 6 से 9 के नाम दर्ज है ।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तनकी वार निर्णय करना उचित समझता हुं।

तनकी नम्बर 1

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी का कथन है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा मुलपुरूष नानजी के वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.12 बीधा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है उक्त आराजी संवत 2008 वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 पुर्वज लाडजी व प्रतिवादी सख्या 6 से 9 के पुर्वज हलिया के नाम सयुक्त रुप दर्ज थी जिसके नम्बरो का संवत 2013 मे परिवर्तन हुआ और नये नम्बर 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कायम हुए जिन्हे सेटलमेंटकर्मियो ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम कर दर्ज दी जिससे सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजी मावजी पिता हलिया के नाम दर्ज रेकोर्ड है जिसकी जानकारी वादीगण को लोन लेने हेतु अपने खाते की नकल निकलवाने पर पता चला की जमाबंदी में वादीगण का नाम नहीं है जिस पर वादीगण ने अपनी विरासती वादग्रस्त भुमी की पुरानी नकले निकलवायी तो जानकारी हुई कि हलिया व लाडजी के सयुक्त खाते की भुमी को सेटलमेंट कर्मियो ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम दर्ज दी जिससे सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजी मावजी पिता हलिया के नाम दर्ज रेकोर्ड है वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी अकेले प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 के नाम दर्ज है जो विधिविरूद्ध होकर गलत है जिस पर वादीगण ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त कराने की बात कही लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने तथा जमीन में हिस्सा देने से मना करने लगे जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऐसे में जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.12 बीधा मे वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 का नाम प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 के साथ दर्ज कर वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 3 व 4 को सयुक्त रुप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाना आवश्यक है। प्रदर्श 1 से साबित होता है वादग्रस्त जमीन संवत 2002–2011 मे वादी सख्या 1 के पिता व वादी सख्या दो के दादा लाडजी व प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 के दादा हलिया के नाम सयुक्त रुप से दर्ज थी जिसके नम्बरो मे संवत 2013 मे परिवर्तन हुआ उसके बाद सेटलमेंट कर्मियो ने लाडजी व हलिया के सयुक्त खाते की भुमी को अकेले हलिया के लडके मावजी के नाम दर्ज कर दी तथा मावजी के लाऔलाद होने के बाद वादग्रस्त जमीन मावजी के

कमशः पेज आठ पर

भाई दुबल के लडको के नाम दर्ज है जबकि सेटलमेंट कर्मियो को नियमानुसार हलिया व लाडजी दोनो के वारीसानो के नाम दर्ज करनी थी जबकि प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 का कथन हैकि वे मावजी के अकेले वारीस है तथा वादीगण के नाम अन्य खातेदारी आराजी होने से वादग्रस्त भुमी मे वादीगण का हक हिस्सा नही होने का कथन किया है लेकिन प्रतिवादी संख्या 6 से 9 ने ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे ये साबित हो कि वादीगण के नाम दर्ज आराजी प्रतिवादीगण की विरासती आराजी हो ऐसे मे साबित होता हैकि वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा संवत 2002–2011 मे वादी सख्या 1 के पिता व वादी सख्या दो के दादा लाडजी के नाम दर्ज था जिसे नियमानुसार सेटलमेंट कर्मियो ने लाडजी के वारीसानो के दर्ज नही कर अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम दर्ज कर विधिक भुल की है जबकि वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 से 4 को जन्म से वाद ग्रस्त आराजी 1/2 हिस्से मे हक निहित था ऐसे मे वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 के साथ वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम दर्ज करना उचित समझता हु अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 2–

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी कथन है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा मुलपुरूष नानजी के वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत 2070–2073 में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.12 बीधा होकर स्थित है। जो वादीयागण व प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 6 से 9 की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है उक्त आराजी संवत 2008 वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 पुर्वज लाडजी व प्रतिवादी सख्या 6 से 9 के पुर्वज हलिया के नाम सयुक्त रुप दर्ज थी जिसके नम्बरो का संवत 2013 मे परिवर्तन हुआ और नये नम्बर 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कायम हुए जिन्हे सेटलमेंटकर्मियो ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम कर दर्ज दी जो मावजी की म्रत्यु के बाद मावजी के भाई दुबल के पुत्रो के नाम दर्ज है ऐसे मे प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 6 से 9 वादग्रस्त आराजी मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे पत्रावली में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रदर्श एक ,दो व तीन से प्रामाणित हैकि वादग्रस्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त की विरासती आराजी है । वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से जो संवत 2002–2011 मे वादी सख्या 1 के पिता व वादी सख्या दो के दादा लाडजी के नाम दर्ज था तब से वादीगण व उनका परिवार विरासती रुप से काबीज है ऐसे में प्रतिवादीगण संख्या 6 से 9 को वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हिस्से मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा करने का कोई जबरन निर्माण करने व अतिकमण करने का कोई विधिक अधिकार नही है ऐसे में वादग्रस्त जमीन के 1/2 हिस्से की भुमी पर वादीगण का हक व कब्जा काश्त होना साबित होता है जबकि

कमशः पेज नव पर

प्रतिवादी संख्या 6 से 9 ने कथन किया कि वादग्रस्त जमीन पर अकेले प्रतिवादीगण 6 से 9 का हक ववकब्जा काश्त है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 6 से 9 ने ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे ये साबित हो कि वादग्रस्त आराजी पर अकेले प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 हक व कब्जा हो ऐसे में प्रतिवादी संख्या 6 से 9 द्वारा सेटलमेंट कर्मियो की गलती से अकेले उनका नाम रेकोर्ड मे दर्ज होने से वादीगण को उउने हिस्से की खातेदारी भुमी में काश्त में रुकावट पैदा करना साबित होता है ऐसे में प्रतिवादी संख्या 6 से 9 को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द करना उचित समझता हु कि प्रतिवादी संख्या 6 से 9 वादीगण को वादग्रस्त जमीन के 1/2 हिस्से मे वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 को काश्त करने में रुकावट पैदा ना तो स्वय करे ना ही अपने मित्र, एजेण्ट व मजदुरो से करावे अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादी के पक्ष में किया जाता है।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रोयडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 57 खसरा नम्बर कमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कुल खसरा 9 कुल रकबा 12.12 बीघा के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण सख्या 6 से 9 के नाम तथा 1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम पारीवारिक हिस्से के अनुसार दर्ज कर वादीगण व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सख्या 6 से 9 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व प्रतिवादी को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है वे वादीगण को वादग्रस्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा न करे। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर